


151

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल खण्ड पीठ रीवा
संभाग रीवा (म०प्र०)

श्री रविन्द्र कृष्ण कृष्ण एड
वकाश 2.4.14



186
2.4.14

क्रि. 1648-II-14

बिलकीश बानों पत्नी स्व०ए०जे०आबिदी निवासी नजीराबाद सतना
जिला सतना म०प्र०-----निगराकार

बनाम

1. सुयेब अहमद अंसारी तनय श्री निहाल अहमद अंसारी निवासी
नजीराबाद सतना जिला सतना (म०प्र०)
2. जितेन्द्र कुमार पिता अम्बिका प्रसाद तिवारी निवासी बिहारी चौक
सतना, जिला सतना (म०प्र०)-----गैर निगराकारगण

दायरा 20
22-5-14

निगरानी विरुद्ध राजस्व निरीक्षक
वृत्त सतना प्रथम तहसील रघुराजनगर
जिला सतना म०प्र० के राजस्व प्रकरण
कमांक-16ए12/2013-14 में पारित
आदेश दिनांक 21.01.14
निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०
रा०सं०-1959

मान्यवर,

निगराकार/आपत्तिकर्ता निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर
विनयी हैं :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार द्वारा
अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय की आपत्ति आवेदन प्रस्तुत
किया कि निगराकार की स्वामित्व व अधिपत्य की आ०नं०-844/3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.1648-II/14

जिला-सतना

बिलकीश बानो/सुयेब अहमद अंसारी

(1)	(2)	(3)
27.04.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात् प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	

M